

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(9)राज/वाद/22

जयपुर, दिनांक 27-7-2022

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2022 के द्वारा आदेश के क्र0सं0 94 पर वर्णित श्री सूर्यप्रकाश बाहेती की कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, भीलवाड़ा में शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन किया गया था।

प्रशासनिक कारणों से श्री बाहेती का कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, भीलवाड़ा के स्थान पर कार्यालय विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), सं02, भीलवाड़ा में नियुक्ति/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है।


शेष शर्तें विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2022 में वर्णितानुसार यथावत रहेंगी।

६०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022जयपुर, दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
5. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को शीघ्रलिपिक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
6. विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), सं02, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. अपर लोक अभियोजक, सं02, भीलवाड़ा।
8. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
9. संबंधित कोषाधिकारी।
10. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
11. संबंधित अभ्यर्थी.....।
12. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव